

उद्योग विभाग
कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली-110092

फा.संख्या 129/डीसीआई (लोकसभा/विधानसभा प्रश्न)/2022-23/219 दिनांक : 24-03-2025

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषय : विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 161 का उत्तर जो दिनांक 27.03.2025 को सदन की बैठक हेतु के संदर्भ में।

महोदय,

मुझे निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या सं. एफ. 11(बी-1)VIII/2025-30/वि.स.स./प्रश्न शा./2153 दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त पत्र के संदर्भ में अतारांकित प्रश्न संख्या 161 का उद्योग विभाग द्वारा तैयार उत्तर को माननीय मंत्री (उद्योग विभाग) की पूर्व अनुमति पश्चात् 100 प्रतियाँ उचित कार्यवाही हेतु आपको अग्रसित की जा रही है।

हस्ताक्षर
24/03/2025
अनुभाग अधिकारी (प्रश्न शाखा)
उद्योग विभाग

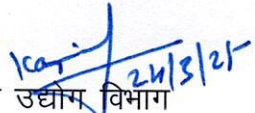
विभाग का नाम :- कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पता:- कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली-110092

अतारांकित

प्रश्न संख्या : 161
दिनांक : 27.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जरनैल सिंह
क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में कुल कितने इंडस्ट्रीयल एरिया हैं,	दिल्ली में कुल 36 कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा 26 नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र हैं।
ख	इनमें से कितने सरकार द्वारा विकसित किये गये हैं व कितने नॉन कंफर्म क्षेत्रों में हैं,	इनमें से 36 क्षेत्र सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा विकसित किए गए हैं।
ग	ख्याला औद्योगिक क्लस्टर जिसमें (I) रवि नगर एक्सटेंशन भाग-I (II) रवि नगर एक्सटेंशन भाग-2, (III) विष्णु गार्डन एक्सटेंशन -5 (IV) जेड -ब्लॉक विष्णु गार्डन और (V) आर जेड - सी ब्लॉक विष्णु गार्डन क्षेत्र आते हैं व जिसका एमपीडी 2021 के पैरा 7.6.2. 1 के तहत पुनर्विकास होना है, इस कार्य की क्या स्थिति है व यह कार्य कब तक संपूर्ण हो जायेगा ,	एम.पी.डी. 2021 डीडीए द्वारा संचालित किया जाता है। इस क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए अभी सिर्फ सर्वे किया जा रहा है।
घ	दिल्ली में किस श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की अनुमति है व किस श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की अनुमति नहीं है	एमपीडी 2021 में उल्लेखित स्वीकृत श्रेणी की इकाइयों को कार्य करने की अनुमति है।
ड	खतरनाक तरीके से वातवरण को प्रदुषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर रोक लगाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है,	इस विभाग से संबंधित नहीं है।
च	शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी यदि वातावरण में जहर घोल रही औद्योगिक इकाइयां चलती रहती हैं तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, और	इस विभाग से संबंधित नहीं है। यह कार्य डीपीसीसी करता है।
छ	पिछले 5 वर्षों में प्राप्त शिकायतों व उन पर की गई कार्रवाईयों का विस्तृत विवरण दें ?	इस विभाग से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर


उपायुक्त उद्योग विभाग

Dy. Commissioner (Industries)
Industries Department
Govt. of NCT of Delhi
419, Udyog Sadan, Patparganj
Indl. Area, Delhi-110092